: युवा स्वावलंबन योजना :

पेशेवर विकलांग युवाओं के स्वरोजगार हेतु योजना –

उद्देश्य– यह योजना पेशेवर शिक्षित बेरोजगार विकलांग युवाओं के लिये है। स्वरोजगार के माध्यम से विकलांग युवाओं के बीच आत्मविश्वास की भावना जगाने, पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिये निगम पेशेवर शिक्षित/प्रशिक्षित विकलांग युवाओं को 4–8% वार्षिक की दर पर ऋण उपलब्ध कराता है।

पात्रता :

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं–

क) 40 % अथवा अधिक विकलांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक
ख) 18 से 45 वर्ष तक आयु
ग) मान्यता प्राप्त संस्थान से पेशेवर डिग्री प्राप्त होनी चाहिये।
घ) प्रस्ताविक गतिविधि सीधे तौर पर आवेदक की पेशेवर डिग्री हेतु प्रासंगिक होनी चाहिये।

ऋण की अधिकतम सीमा

अधिकतम ऋण सीमा रु. 25.0 लाख है।

वित्तीय हिस्सा

1. एनएचएफडीसी ऋण अंशदान : 85% तक
2. एससीए ऋण अंशदान : 5%
3. लाभार्थी अंशदान : 10% तक

ब्याज की दर (वार्शिक)

क) 50,000/- रूपये तक - 5% प्र0व0

ख) 50,000/- रूपये से अधिक और 5.00 लाख रूपये तक - 6% प्र0व0

ख) 5.00 लाख रूपये से अधिक और 15.00 लाख रूपये तक - 7% प्र0व0

ग) 15.00 लाख रूपये से अधिक - 8% प्र0व0

नोट : 1. विकलांग युवा व्यवसायी महिलाओं के लिये ब्याज दर पर 1.0 प्रतिशत की छूट।
2. दृष्टि/मानसिक/मुक बधिर श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को ब्याज दर में .5% की छूट।

पुनर्भुगतान अवधि – ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष की अवधि में (अधिस्थगन अवधि सहित) किया जाना अपेक्षित है।

कार्यशील पूँजी : एनएचएफडीसी अनुमानित आवश्यकता का 30% तक कार्यशील पूँजी रखने पर विचार करेगी।

पेशेवर क्षेत्रों की सूची : डाक्टर, इंजीनियर (साफटवेयर/हार्डवेयर/ऑटोमोबाइल सहित), अधिवक्ता, चार्टेड एकाउटेंट/कोस्ट एकाउटेंट, होटल प्रबंधन,वृदावस्था होमकेयर, प्रचार एवं विज्ञापन, भवन अनुरक्षण तथा सेवा, सुरक्षा गार्ड एजेंसी, प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोंचिग सेंटर, संस्कृति व पर्यटन विकास, प्रिंटिग प्रेस/डीटीपी/ग्राफिक्स आदि फैशन डिजाइनिंन/बुटीक टैक्स्टाइल डिजाइनिंग, सजावटी/मूर्तिकला, पारंपरिक कला एवं शिल्प में योगदान आदि

उपर दी गई सूची संपूर्ण नहीं है तथा मात्र उदाहरण है । पात्र विकलांग युवा किसी भी अन्य तकनीकी रुप से संम्भव तथा आर्थिक रुप से व्यवहारिक परियोजना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उम्मीद कि जाती है कि इस तरह के पेशेवर प्रबंधित उपक्रमों से पर्याप्त संख्या में कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों के लिये मजदूरी एवं रोजगार के अवसरों का सृजन होकर राष्ट्रीय संपदा में बढ़ोतरी होगी।

ऐसे युवा जिन्होंने पहले से ही उच्च पेशेवर शिक्षा हेतु ऋण सहायता प्राप्त की है उनके द्वारा आवेदित स्वरोजगार, आय अर्जक गतिविधि हेतु अतिरिक्त ऋण के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है तथापि शिक्षा ऋण करे मिलाकर प्रति लाभार्थी ऋण सीमा रुपये 25.0 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।